

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक- 29/12/2018


क्रमांक- 1095/182/आउशि/अनु.ब/17. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक- 3305/38-1/88, भोपाल, दिनांक 03/08 नवम्बर-1988 एवं पृ0 क्र0 3306 दिनांक 3/8 नवम्बर 88 एवं पृ0 क्र0 डी.362/89/सी-3/38 दिनांक 17.2.89, क्रमांक- एफ 73/59/38-3/99 दिनांक 28 अक्टूबर- 1999 तथा क्रमांक- एफ-1 (43)/05/1/अइतीस, भोपाल, दिनांक 29.1.2008 एवं आदेश क. एफ-1-35/07/1-38 दिनांक 25 अगस्त 2009 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुदान प्राप्त अशासकीय नेहरू स्मारक महाविद्यालय,चाकघाट(रीवा) के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक का उनके नाम के समक्ष कॉलम-3 में अंकित दिनांक से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (3000-5000/10000-15200) में स्थानन किया जाता है:-

स.क्र.	सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन दिनांक
1	2	3
1	प्रो.रामप्रसाद सिंह,सहा.प्राध्या.प्राचीन भारतीय इतिहास	23.12.03

2. उक्त वेतनमान में वेतन का भुगतान कार्यालय,आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के वेतन निर्धारण दल द्वारा अनुमोदन तथा प्राचार्य/शिक्षाअधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण पर्वी जारी करने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा-

- (1) शिक्षाअधिकारी वेतन निर्धारण पर्वी जारी करने के पूर्व, त्रुटिपूर्ण एवं अधिक भुगतान संबंध की वसूली हेतु वचन पत्र प्राप्त करें ।
- (2) यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जांच / लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में, शिक्षाअधिकारी वेतन निर्धारण पर्वी जारी न करते हुए, वस्तुस्थिति से आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय को अवगत करावें ।
- (3) संबंधित अधिकारी अनुदान हेतु स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहे हैं ।
- (4) शासन द्वारा जारी अद्यतन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावें । किसी भी प्रकार के अनियमित वेतन निर्धारण/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्राचार्य की होगी ।


(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)


(डॉ.सुषमा दुबे)
अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल
निरंतर...:2

पृ0क0- 1096/182/ आउशि/अनु.ब/17
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक- 29/5/2018

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
6. उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा ।
8. प्राचार्य/शिक्षाअधिकारी, अग्रणी शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रीवा ।
9. कुलसचिव, अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ।
10. वि.क.अ.(आई.टी.सेल), कार्या.आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
11. प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय नेहरु स्मारक महाविद्यालय, चाकघाट (रीवा) मध्यप्रदेश ।
12. कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय, मध्यप्रदेश ।
13. संबंधित अधिकारी, अशासकीय नेहरु स्मारक महाविद्यालय, चाकघाट (रीवा), मध्यप्रदेश ।
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


अपर संचालक/विभागाध्यक्ष
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक- 29/12/2018


क्रमांक- 1097/162/आउशि/अनु.ब/18. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक- 3305/38-1/88, भोपाल, दिनांक 03/08 नवम्बर-1988 एवं पृ0 क्र0 3306 दिनांक 3/8 नवम्बर 88 एवं पृ0 क्र0 डी.362/89/सी-3/38 दिनांक 17.2.89, क्रमांक- एफ 73/59/38-3/99 दिनांक 28 अक्टूबर- 1999 तथा क्रमांक- एफ-1 (43)/05/1/अइतीस, भोपाल, दिनांक 29.1.2008 एवं आदेश क. एफ-1-35/07/1-38 दिनांक 25 अगस्त 2009 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुदान प्राप्त अशासकीय राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय,मनिकवार(रीवा) के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक का उनके नाम के समक्ष कॉलम-3 में अंकित दिनांक से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (3000-5000/10000-15200) में स्थानन किया जाता है:-

स.क्र.	सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन दिनांक
1	2	3
1	डॉ.विमल कुमार पाण्डेय,सहा.प्रा. राजनीतिशास्त्र	2.7.87

2. उक्त वेतनमान में वेतन का भुगतान कार्यालय,आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के वेतन निर्धारण दल द्वारा अनुमोदन तथा प्राचार्य/शिक्षाअधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण पर्ची जारी करने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा-

- (1) शिक्षाअधिकारी वेतन निर्धारण पर्ची जारी करने के पूर्व, त्रुटिपूर्ण एवं अधिक भुगतान संबंध की वसूली हेतु वचन पत्र प्राप्त करें ।
- (2) यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जांच / लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में, शिक्षाअधिकारी वेतन निर्धारण पर्ची जारी न करते हुए, वस्तुस्थिति से आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय को अवगत करावें ।
- (3) संबंधित अधिकारी अनुदान हेतु स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहे हैं ।
- (4) शासन द्वारा जारी अद्यतन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावें । किसी भी प्रकार के अनियमित वेतन निर्धारण/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्राचार्य की होगी ।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)



(डॉ.सुषमा दुबे)
अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल

निरंतर....2

पृ0क0-1098/162/ आउशि/अनु.ब/18
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक-29/5/2018

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
6. उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा ।
8. प्राचार्य/शिक्षाअधिकारी, अग्रणी शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रीवा ।
9. कुलसचिव, अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ।
10. वि.क.अ.(आई.टी.सेल), कार्या.आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
11. प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार (रीवा) मध्यप्रदेश ।
12. कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय, मध्यप्रदेश ।
13. संबंधित अधिकारी, अशासकीय राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार (रीवा), मध्यप्रदेश ।
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


अपर संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 29/1/2018

कमांक/ 1099 /178/आउशि/अनु.ब/18. म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक एफ-73/52/38-3/99 दिनांक 28/10/1999 द्वारा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। उसमें कंडिका-10 पर अंकित शर्त जिसमें 01.01.96 से वेतनमान लागू होंगे परन्तु अन्य सुविधाओं का लाभ भारत सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 27.7.98 अथवा 6.11.98 से लागू मानी जावेगी।

2. उक्त अनुक्रम में म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक/एफ 73/59/38-3/99 दिनांक 28/10/99 एवं म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक/73-5/2014/38-3 दिनांक 19-20/3/15 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ. 1/124 /2010/38-1, दिनांक 14/9/12 में अंकित चार्ट के स.क.-4 में उल्लेखित अर्हता के अनुसार पूर्व में विश्वविद्यालय की अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार स्वीकृत किये गये प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि से 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के निम्न सहायक प्राध्यापक/ ग्रंथपाल/ क्रीड़ाअधिकारी/अधिकारियों को संबंधित प्राचार्य से प्राप्त जानकारी एवं अभिलेखों के आधार पर उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से चतुर्थ पे-बैंड वेतनमान (37400-67000+9000एजीपी)स्वीकृत किया जाता है:-

स.क.	सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम	शासन द्वारा अनुमोदित नियमित नियुक्ति दिनांक	चतुर्थ पे-बैंड में स्थानन का दिनांक
1	2	3	4
इंदौर किश्चियन महाविद्यालय,इंदौर			
1	डॉ.पंकज वीरमाल सहा.प्रा. हिन्दी	8.9.99	5.2.17
कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,चौरई(छिंदवाड़ा)			
2	डॉ.एन.के.शुक्ला,सहा.प्राध्या.हिन्दी	16.3.90	27.7.06
नेहरू स्मारक स्नातकोत्तर महावि.चाकघाट(सीवा)			
3	श्री श्यामदेव यादव,सहा.प्रा.गणित	22.12.97	23.12.11
इस्लामिया करीमिया महाविद्यालय,इंदौर			
4	श्री जाकिर हुसैन,सहा. प्राध्या.वाणिज्य	19.9.89	25.2.18

3. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित अधिकारियों का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु किसी भी प्रकार के अनियमित/अधिक भुगतान हेतु वचन पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित अधिकारी अनुदान हेतु स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहे हैं।


निरंतर....2

4. यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुये तत्काल जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजे ।

5. यदि किसी अधिकारी द्वारा वेतनमान संबंधी न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो निर्णय के परिपेक्ष्य में वेतन निर्धारण/भुगतान कर प्रकरण का तत्काल निराकरण करते हुये इस कार्यालय को अवगत करावे ।

6. शासन द्वारा जारी अद्यतन नियमों को पालन सुनिश्चित किया जावे । किसी भी प्रकार के अनियमित वेतन निर्धारण/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्राचार्य की होगी ।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. सुषमा दुबे)

अपर संचालक(वित्त)


उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29/12/18

पृ0क0/ 1100 /178/आउशि/अनु.ब/18

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन के निज सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
4. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. संबंधित उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. कुलसचिव, समस्त संबंधित विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
8. वि.क.अ.(आई.टी.सेल), कार्या. आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
9. संबंधित प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश । आदेश की प्रति भेजते हुये निर्देशित किया जाता है कि कृपया आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भी उपलब्ध कराने का करावे ।
11. कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय, मध्यप्रदेश ।
12. समस्त संबंधित अधिकारी, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।



अपर संचालक(वित्त)

उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29/11/2018

क्रमांक/1101/197/आउशि/अनु.ब/18. म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-73/52/38-3/99 दिनांक 28/10/1999 द्वारा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। उसमें कंडिका-10 पर अंकित शर्त जिसमें 01.01.96 से वेतनमान लागू होगा परन्तु अन्य सुविधाओं का लाभ भारत सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 27.7.98 अथवा 6.11.98 से लागू मानी जावेगी।

2. उक्त अनुक्रम में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 73/59/38-3/99 दिनांक 28/10/99 एवं म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/73-5/2014/38-3 दिनांक 19-20/3/15 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 1/124 /2010/38-1, दिनांक 14/9/12 में अंकित चार्ट के स.क्र.-4 में उल्लेखित अर्हता के अनुसार परीक्षणोपरान्त पूर्व में विश्वविद्यालय की अनुवीक्षण समिति की आदेश दिनांक 28.10.99 की कंडिका-7(अ) के तहत अनुशंसा अनुसार स्वीकृत किये गये प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि से 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अनुदान प्राप्त अशासकीय ऋषिेश्वर महाविद्यालय, फूप(भिण्ड) के निम्न सहायक प्राध्यापक/ ग्रंथपाल/ कीड़ा अधिकारी/ अधिकारियों को पात्रतानुसार संबंधित प्राचार्य से प्राप्त जानकारी एवं अभिलेखों के आधार पर उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में अंकित तिथि से चतुर्थ पे-बैंड वेतनमान (37400-67000+9000एजीपी) स्वीकृत किया जाता है:-

स.क्र.	सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम	शासन द्वारा अनुमोदित नियमित नियुक्ति दिनांक	चतुर्थ पे-बैंड स्वीकृति का दिनांक
1	2	3	4
1	श्रीमती नालिनी जैन, सहायक प्राध्यापक, इतिहास	1.7.75	1.1.06


3. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित अधिकारियों का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु किसी भी प्रकार के अनियमित/अधिक भुगतान हेतु वचन पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित अधिकारी अनुदान हेतु स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहे है।

4. यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुये तत्काल जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

5. यदि किसी अधिकारी द्वारा वेतनमान संबंधी न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो निर्णय के परिपेक्ष्य में वेतन निर्धारण/भुगतान कर प्रकरण का तत्काल निराकरण करते हुये इस कार्यालय को अवगत करावे।


6. शासन द्वारा जारी अद्यतन नियमों को पालन सुनिश्चित किया जावे। किसी भी प्रकार के अनियमित वेतन निर्धारण/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्राचार्य की होगी।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)


 (डॉ. सुषमा दुबे)
 अपर संचालक (वित्त)
 उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
 निरंतर....2

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन के निज सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
4. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. संबंधित उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ।
8. वि.क.अ.(आई.टी.सेल), कार्या.आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
9. प्राचार्य/शिक्षाधिकारी, शासकीय अग्रणी विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर ।
10. प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय ऋषिेश्वर महाविद्यालय, फूप(भिण्ड) । कृपया आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भी उपलब्ध कराने का करावे ।
11. कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय, मध्यप्रदेश ।
12. संबंधित अधिकारी, अनुदान प्राप्त अशासकीय ऋषिेश्वर महाविद्यालय, फूप(भिण्ड) ।
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


 अपर संचालक (विद्या)
 उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल